प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठः माननीय श्री प्रशांत कुमार मिश्रा

सिविल पुनरीक्षण संख्याः 108/2004

आवेदकः दिलदार सिंह

विरुद्ध

अनावेदकः छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थितिः

श्री पराग कोटेचा, आवेदक के अधिवक्ता।

श्री जी.डी. वासवानी, राज्य हेतु शासकीय अधिवक्ता।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 115 के सह पठित धारा 18(3) भूमिअर्जन अधिनियम, 1894 के अंतर्गत सिविल पुनरीक्षण याचिका

मौखिक आदेश

(दिनांकः 22.06.2011)

1. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (म.प्र./छ.ग. राज्य में यथा संशोधित) की धारा 18(3) के सह पठित धारा 115 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत इस

सिविल पुनरीक्षण याचिका में, आवेदक ने अपर जिला न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), कांकेर द्वारा दिनांक 31/01/2004 को पारित आदेश, तथा कलेक्टर, कांकेर द्वारा दिनांक 3/11/1999 को पारित उस आदेश को चुनौती दी है, जिसके द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 18 के तहत प्रस्तुत उसके आवेदन को निरस्त कर दिया गया था।

2. मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक /राज्य ने 'दोरदे सिंचाई जलाशय' के निर्माण हेतु निजी धारकों की कृषि भूमि का अर्जन किया था। विद्वान शासकीय अधिवक्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के अनुसार, भूमि अर्जन की कार्यवाही कार्यपालन अभियंता, सिंचाई विभाग, कांकेर द्वारा 20 जनवरी, 1984 को प्रस्तुत आवेदन के आधार पर दिनांक 12/11/1984 को प्रारंभ की गई थी। अभिलेखों से यह भी विदित होता है कि धारा 4 एवं धारा 6 के अंतर्गत अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 12/10/1985 को किया गया था और तदोपरांत कलेक्टर द्वारा दिनांक 29/04/1987 को अधिनिर्णय तैयार कर अनुमोदित किया गया था। इस अधिनिर्णय में, भूमि के मुआवजे के रूप में 14962.64 रुपये की राशि और भूमि पर स्थित वृक्षों के मुआवजे के रूप में 43320.20 रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी। अभिलेख में आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित सिंचाई विभाग को संबोधित एक आवेदन भी सम्मिलित है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि उसकी भूमि पर स्थित वृक्षों का अर्जन न किया जाए क्योंकि वह उक्त वृक्षों को एक निजी ठेकेदार को सौंपना चाहता है और वह विभाग से वृक्षों का मुआवजा प्राप्त करने का इच्छुक नहीं है। अतः, आवेदक की अपनी इच्छानुसार वृक्षों का स्वयं निस्तारण करने की मंशा के अनुरूप, वृक्षों का अर्जन किए बिना ही अधिनिर्णय पारित कर दिया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. तत्पश्चात, आवेदक द्वारा दिनांक 1/12/1987 को एक आवेदन (अनुलग्नक पी-2) प्रस्तुत किया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया कि वृक्षों की कटाई के लिए आवेदक द्वारा नियुक्त निजी ठेकेदार को वृक्ष काटने की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि राज्य सरकार के आदेशों के तहत उक्त व्यवस्था पर रोक लगा दी गई थी। तदनुसार, उसने मांग की कि अब उसे उसकी भूमि पर स्थित वृक्षों के लिए भी मुआवजा प्रदान किया जाना चाहिए। आवेदक द्वारा दिनांक 14/12/1987 को एक अन्य आवेदन (अनुलग्नक पी-5) अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आवेदक द्वारा निरंतर की गई पैरवी के फलस्वरूप अंततः कलेक्टर द्वारा दिनांक 20 अगस्त, 1998 को एक आदेश पारित किया गया, जो वास्तव में कलेक्टर कार्यालय, बस्तर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भानुप्रतापपुर को जारी किया गया एक ज्ञापन था,जिसमें यह सूचित किया गया था कि वृक्षों के मुआवजे हेतु आवेदन नस्तीबद्ध कर दिया गया है। अभिलेख में निरीक्षण रिपोर्ट भी उपलब्ध हैं जिनमें यह उल्लेख किया गया है कि चूंकि वह क्षेत्र जहाँ वृक्ष स्थित थे, अब जलमग्न हो चुका है, अतः वृक्षों की गणना संभव नहीं है; जिसका अर्थ यह है कि वृक्ष उसी भूमि पर स्थित थे जिसका अर्जन वर्ष 1984 में जलाशय निर्माण हेतु किया गया था और जिसके संबंध में दिनांक 29/04/1987 को अधिनिर्णय पारित किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. सिंचाई जलाशय से निकलने वाली नहर के निर्माण हेतु भूमि अर्जन की एक अन्य पृथक कार्यवाही भी अमल में लाई गई थी, जो कि प्रथम अर्जन का ही विषय वस्तु थी।

5. कलेक्टर, बस्तर द्वारा लिखित एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भानुप्रतापपुर को संबोधित दिनांक 20-8-1998 के ज्ञापन को मुआवजे की राशि एवं परिणामी अधिनिर्णय की मांग वाले आवेदन की अस्वीकृति मानते हुए, आवेदक ने प्रारंभ में कमिश्नर, बस्तर संभाग के समक्ष पुनरीक्षण याचिका के रूप में एक आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन को अंततः दिनांक 18/03/1999 को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि मामला भूमि अर्जन अधिनियम के अंतर्गत की कार्यवाही से संबंधित है, जिस पर कमिश्नर का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। इसके पश्चात आवेदक ने कलेक्टर, कांकेर के समक्ष अधिनियम, 1894 की धारा 18 के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें अन्य बातों के साथ यह तर्क दिया गया कि उसे 134 वृक्षों का मुआवजा प्रदान नहीं किया गया है और दिनांक 20-8-1998 को उसके आवेदन को नस्तीबद्ध कर दिया गया है, जिसका अर्थ यह है कि वृक्षों के मुआवजे हेतु उसकी प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. कलेक्टर, कांकेर ने अपने आदेश दिनांक 3/11/1999 (अनुलग्नक पी-9) द्वारा आवेदन को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि उक्त आवेदन परिसीमा द्वारा वर्जित है।

7. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि विद्वान कलेक्टर ने यह मानकर कि आवेदन परिसीमा से वर्जित है,विधि की गंभीर त्रुटि की है। उनका तर्क है कि आवेदक ने कलेक्टर द्वारा दिनांक 20 अगस्त 1998 को आदेश पारित किए जाने के तत्काल बाद आयुक्त के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था, तथापि जब आयुक्त ने पुनरीक्षण को पोषणीय न मानते हुए खारिज कर दिया, तब धारा 18 के तहत कलेक्टर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया। परिसीमा अधिनियम की धारा

14 के प्रावधानों के तहत उसके आवेदन को समय-सीमा के भीतर माना जाना चाहिए क्योंकि आवेदक सद्भावी रूप से दूसरे फोरम अर्थात् आयुक्त, बस्तर के समक्ष मुकदमेबाजी कर रहा था।

8. इसके विपरीत, विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री वासवानी ने यह तर्क दिया कि वृक्षों के संबंध में कोई अधिनिर्णय अस्तित्व में नहीं है क्योंकि आवेदक ने स्वयं यह स्वीकार करते हुए कि वह वृक्षों के लिए कोई मुआवजा प्राप्त नहीं करेगा, अपना अधिकार त्याग कर दिया था। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी स्थिति में धारा 18 के तहत आवेदन परिसीमा से वर्जित था और दिनांक 20/08/1998 का ज्ञापन कोई 'अधिनिर्णय' नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तृत रूप से सुनने के बाद और वर्ष 1987 में जलाशय निर्माण हेतु भूमि अर्जन की कार्यवाही, नहर निर्माण हेतु द्वितीय भूमि अर्जन की कार्यवाही, तथा वृक्षों के लिए मुआवजे की मांग संबंधी आवेदक के आवेदन से संबंधित तीसरे अभिलेख-पटल का सूक्ष्म अवलोकन करने के उपरांत, इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत यह पुनरीक्षण याचिका खारिज किए जाने योग्य है। प्रथम अर्जन की कार्यवाही तब पूर्ण रूप से संपन्न हो गई थी जब दिनांक 29/04/1987 को अधिनिर्णय पारित किया गया था। आवेदक ने अधिनिर्णय पारित होने के तत्काल बाद अधिनियम की धारा 18 के तहत आवेदन प्रस्तुत करने के बजाय, नवंबर और दिसंबर 1987 में (अनुलग्नक पी-2 और पी-5 के माध्यम से) अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चुना, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया कि यद्यपि उसने पहले वृक्षों के लिए मुआवजे की मांग न करने की सहमति दी थी क्योंकि उसने वृक्षों को एक निजी ठेकेदार को बेच दिया था, परंतु अब वह मुआवजा प्राप्त करने हेतु

सहमत है, जिसके लिए कार्यवाही की जानी चाहिए और तत्काल मुआवजे का भुगतान किया जाना चाहिए। सिंचाई विभाग को संबोधित आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित सहमति-पत्र अभिलेख पर उपलब्ध है, जिसमें उसने स्पष्ट रूप से इस आधार पर वृक्षों का मुआवजा प्राप्त न करने की सहमति दी थी कि वृक्षों को एक निजी ठेकेदार को सौंपा जाएगा। वृक्षों के मुआवजे हेतु पश्चातवर्ती आवेदन, अर्जन की कार्यवाही पूर्ण होने के बाद और अर्जन प्रक्रिया प्रारंभ होने की तिथि से लगभग तीन वर्ष बाद प्रस्तुत किए गए थे। आवेदक ने नवंबर 1984 से अप्रैल 1987 के मध्य, जब अर्जन की कार्यवाही लंबित थी, कभी कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान दस्तावेज़ (अनुलग्नक पी-1) की ओर आकर्षित करते हुए तर्क दिया कि आवेदक ने वास्तव में दिनांक 28/02/1987 को एक आवेदन प्रस्तुत किया था। तथापि, उक्त दस्तावेज़ पर विभाग की कोई पावती या हस्ताक्षर नहीं हैं और न ही भू-अर्जन अधिकारी के कोई चिह्न हैं। मूल अभिलेख में भी ऐसे किसी आवेदन की प्रति उपलब्ध नहीं है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त दस्तावेज़/आवेदन भू-अर्जन अधिकारी के समक्ष कभी प्रस्तुत ही नहीं किया गया था। वास्तव में, यह दस्तावेज़ अनुविभागीय अधिकारी, सिंचाई विभाग, भानुप्रतापपुर को संबोधित है, न कि संबंधित भू-अर्जन अधिकारी को।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. स्थिति चाहे जो भी हो, चूँकि प्रथम अर्जन की कार्यवाही (जिससे यह पुनरीक्षण संबंधित है) दिनांक 29/04/1987 को पूर्ण हो चुकी थी और अधिनियम की धारा 18(2) के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा के भीतर धारा 18 के तहत कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया था, अतः आवेदक द्वारा बाद में दिए गए आवेदनों, उनकी पैरवी और अधिकारियों द्वारा उन पर की गई अनुवर्ती कार्रवाइयों (जैसे रिपोर्ट मांगना आदि) का कोई विधि महत्व नहीं रह जाता। इसका कारण

यह है कि उस समय धारा 18 के तहत कोई आवेदन लंबित नहीं था और वास्तव में नवंबर एवं दिसंबर 1987 में दाखिल आवेदन केवल वृक्षों के मुआवजे हेतु अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत 'अभ्यावेदन' मात्र थे।

11. विद्वान शासकीय अधिवक्ता के इस तर्क में पर्याप्त सार है कि दिनांक 20 अगस्त 1998 का ज्ञापन कोई 'अधिनिर्णय' नहीं है, क्योंकि जैसा कि इस आदेश के पूर्ववर्ती पैराग्राफों में धारित किया जा चुका है, अर्जन की कार्यवाही दिनांक 29/04/1987 को ही पूर्ण हो चुकी थी और इस प्रकार कलेक्टर के पास अर्जन का कोई मामला लंबित नहीं था ताकि अगस्त, 1998 में आवेदक की भूमि पर स्थित उन वृक्षों के संबंध में एक अधिनिर्णय पारित किया जा सके, जिनके लिए भूमि अर्जन की प्रक्रिया अप्रैल, 1987 में ही पूर्ण हो चुकी थी। उक्त अर्जन कार्यवाहियों के दौरान, आवेदक ने पूर्व में ही अपनी सहमति प्रदान कर दी थी कि वृक्षों को (विभाग को देने के बजाय) निजी ठेकेदार को सौंप दिया जाएगा और वास्तव में वे एक निजी ठेकेदार को बेचे भी जा चुके थे, जिसके कारण उसने वृक्षों हेतु मुआवजा प्राप्त न करने का निर्णय लिया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. उपरोक्त कारणों से, इस न्यायालय का यह मत है कि आ.सा. द्वारा उठाए गए अन्य बिंदु, कि वह परिसीमा अधिनियम की धारा 14 के तहत लाभ पाने का हकदार है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **भगवान दास एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य** तथा **नयनतारा गुप्ता एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2010 AIR SCW 1629** के मामले में प्रतिपादित विधि के आलोक में खारिज किए जाने योग्य हैं। उक्त निर्णय में, **ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (भूमि अर्जन) एवं अन्य बनाम शाह मणिलाल चंदूलाल एवं अन्य (1996 (9) SCC 414)** के पूर्व निर्णय पर भरोसा करते हुए यह व्यवस्था दी गई है कि परिसीमा

अधिनियम, 1963 की धारा 4 से 24 के प्रावधान, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 18(1) के तहत प्रस्तुत आवेदनों पर लागू नहीं होते हैं।

13.तदनुसार, यह पुनरीक्षण याचिका निरस्त की जाती है।

हस्ताक्षरित/-

पी.के. मिश्रा

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Shivani Pareek (Adv.)